# क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

**कार्यक्रम का नाम– Village Health Sanitation and Nutrition Day. (VHSND)**
**बजट / एफ.एम.आर. शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर) – Monthly Village Health, Sanitation and Nutrition Day**

**बजट क्रम संख्या / एफ.एम.आर. कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर) A.1.3.2**

**कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5–10 वाक्य अधिकतम)**

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्र्तगत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें गाँव के अंतिम व्यक्ति तक उपलब्ध कराने की परिकल्पना हैं। इस हेतु अन्र्तविभागीय समन्वय स्थापित कर गाँव के स्तर पर स्वास्थ्य एवं पोषण इत्यादि सेवाओं को सामेकित रुप से उपलब्ध कराने की रणनीति बनाई गई है। इस आलोक में ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस का आयोजन एक महत्वपुर्ण रणनीति है जहाँ समुदाय के लोग सुरक्षात्मक एवं प्रोत्साहक (Preventive & Promotive) स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं को प्राप्त कर सके।

**ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस** :– यह दिवस प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर महीने में एक बार आयोजित किया जा रहा है। जिसके माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छ पेयजल से संबंधित सेवायें को पंचायती राज की सहभागिता से कार्यान्वित किया जाना है। इस दिन उपर्युक्त सेवाओं को एक दिन, एक स्थान तथा सामुहिकता के सिद्धान्त पर आयोजित किया जाना है। राज्य में VHSND कार्यक्रम कियान्वित किए जा रहे है। इस कार्यक्रम कि गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक है कि इसका अनुश्रवण किया जाए। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 मे इस कार्यक्रम के अनुश्रवण के लिए राशि स्वीकृत कि गई है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक समानो एवं प्रचार–प्रसार के लिए भी राशि का प्रावधान किया जा रहा है।

**ईकाई राशिः**

1. Monotring of VHSND- @ Rs. 100/VHSND (Max. 2 site per day/Person).
2. Logistic support at VHSND -@ Rs. 100/VHSND/Month.-**through VHSNC/HSC untied fund.**
3. IEC Activities one day prior to VHSND- @ Rs. 100/VHSND/Month.- **through VHSNC untied fund.**

## वित्तीय दिशा–निर्देश
## उक्त राशि निम्नांकित कार्यो में खर्च किये जा सकते हैः–

- **ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस का अनुश्रवणः**– इस कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिए प्रखण्ड स्तर के संबंधित विभागों के संबंधित पदाघिकारी यथाः– प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी– आयुष, बाल–विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक (BCM), प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक (BHM), पी.एच.ई.डी. के अभियंता इत्यादि के द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस सत्र का पर्यवेक्षण करेगें। इस अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिए प्रति व्यक्ति प्रति VHSND site के भ्रमण हेतु 100 रुपये (अधिकतम दो स्थलों का भ्रमण एक व्यक्ति के द्वारा एक दिन के लिए मान्य है) की दर से राशि प्रदान की जाएगी। इस राशि के भुगतान का आधार यह है कि संबंधित पदाधिकारी द्वारा अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के दौरान राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे प्रपत्र **(संलग्न)** में VHSND स्थल पर सूचना एकत्र कर वहां उपस्थित ए.एन.एम., आशा एवं आंगनबाड़ी से हस्ताक्षर करवाकर, उक्त प्रपत्र को संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को समर्पित करने के उपरान्त अधिकतम दो VHSND स्थल के पर्यवेक्षण के लिए निर्धारित रूपये 200 तक प्रदान किये जा सकते है।

  इस मद में आपके जिले / प्रखण्ड के लिए निर्धारित कुल मासिक सत्र का 1.5 गुणा सत्र के पर्यवेक्षण हेतु (यदि किसी प्रखण्ड में प्रति माह 100 VHSND सत्र किये जाने है, तो उस प्रखण्ड को पुरे साल के लिए अधिकतम 150 सत्र के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु रूपये 100 प्रति सत्र के दर से राशि उपलबध कराई जा रही है।) राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

- **ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस में समानो की उपलब्धता** :– आंगनबाड़ी केन्द्रो के स्तर पर आयोजित किये जाने वाले ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस के दिन लाभार्थी एवं सेवा प्रदाता के बैठने के लिए कुर्सी, टेबुल, बेंच, दरी, एवं इससे संबंधित अन्य सामाग्री भाड़े पर लेने के लिए प्रति VHSND प्रत्येक माह रूपये 100 की दर से राशि का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए राशि HSC Untied Fund (FMR Code B 2.3) अथवा VHSNC Untied fund (FMR Code B2.4) जो पंचायत स्तर पर गठित VHSNC के बैंक खाते में उपलब्ध है, का उपयोग किया जा सकता है।
- **ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस का प्रचार–प्रसारः**– आंगनबाड़ी केन्द्र के स्तर पर आयोजित किये जाने वाले ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस के एक दिन पुर्व सेवा क्षेत्र में समुदाय को इस दिवस की जानकारी दिये जाने की आवश्यकता महसुस कि गई है कि– यह दिवस कहाँ, कब और इसमें कौन–कौन सी सेवाएं प्रदान की जायेगी। इसलिए आवश्यकता है की ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस के एक दिन पुर्व समुदाय को यह सुचित किया जाये कि यह दिवस कब, कहाँ मनायी जायेगी तथा इसमें कौन–कौन सी सेवाएं प्रदान की जायेगी तथा इसका लाभ कौन–कौन उठा सकते है। ताकि लोगों में इस दिवस की उपयोगिता की जानकारी हो तथा इससे अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके। इस हेतु VHSND के एक दिन पुर्व ढ़ोल पिटवाकर अथवा माईकिंग करवाकर सेवा क्षेत्र के लोगों को सुचित किया जा सकता है। इस कार्य के लिए रूपये 100 प्रति VHSND की दर से राशि खर्च किये जा सकते हैं। इसके लिए राशि VHSC Untied fund (FMR Code B2.4) जो पंचायत स्तर पर गठित VHSC के बैंक खाते में उपलब्ध है, का उपयोग किया जा सकता है।

**इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो** (पत्र सं– तिथि के साथ उल्लेखित करें) पत्र संख्या– 24613 दिनांकः– 15.03.11, पत्र संख्या– 25601 दिनांकः– 25.04.11, पत्र संख्या– 31860 दिनांकः– 30.11.2011, पत्र संख्या– 32854 दिनांकः– 29.12.2011, पत्र संख्या– 981 दिनांकः– 03.01.2012, पत्र संख्या– 2107 दिनांकः– 05.03.2012, पत्र संख्या– 2621 दिनांकः– 26.03.2012, पत्र संख्या– 4418 दिनांकः– 23.05.2012, पत्र संख्या– 4619 दिनांक– 06.06.2012

**संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम– श्री रंजीत समैयार**
**संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर– 09470003025**

*FMR Code A 1.3.2*

## Village Health Sanitation & Nutrition Day (VHSND) -Supervision/ Monitoring Format

(FMR Code A1.3.2)

| | |
|---|---|
| जिलाः– | भ्रमण की तिथिः– |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रः– | स्वास्थ्य उपकेन्द्रः– |
| गाँव का नाम (जहां ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस मनाया जा रहा है) | |
| ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस कहाँ मानाया जा रहा है ? (निशान लगाँए) | आंगनबाड़ी केन्द्र ( ) पंचायत भवन ( ) यदि अन्य तो स्थल का नाम लिखे। ........................ |
| ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस स्थल पर उपस्थित कर्मी (निशान लगाँए) | ए.एन.एम. ( ) आंगानबाड़ी ( ) आशा ( ) पी.आर.आई. ( ) अन्य (लिखे) ................................ |
| ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस स्थल पर उपस्थित कर्मीयों में से किन – किन कर्मीयों के द्वारा VHSND फिल्म के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है? (पुछ कर निशान लगाँएं) | ए.एन.एम. ( ) आंगानबाड़ी ( ) आशा ( ) पी.आर.आई. ( ) अन्य (लिखे) ................................... |

| 1 | Observations (अवलोकन) | ( Yes / No ) | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1.1 | राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा उपलब्ध कराये गए VHSND टीन प्लेट प्रदर्शित पाया गया ? | | VHSND टीन प्लेट की संख्याः–...................... |
| 1.2 | VHSND सत्र माईक्रोप्लान के अनुसार आयोजित किया गया ? | | |
| 1.3 | VHSND स्थल पर समुदाय के लोग आसानी से पहुँच पा रहे है ? | | |
| 1.4 | VHSND स्थल पर सेवा प्रदाता/लाभार्थी के लिए टेबुल, कुर्सी एवं दरी की उपलब्धता है ? | | |
| 1.5 | VHSND स्थल पर सेवा प्रदाता/लाभार्थी के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है ? | | |
| 1.6 | सेवा प्रदाता के लिए हाथ धोने की व्यवस्था है ? | | |
| 1.7 | VHSND के एक दिन पहले ढ़ोल/माईक के द्वारा समुदाय को सुचित किया गया है ? (किसी लाभार्थी से पुछें) | | |

| 2 | Availability of Instruments / Materials | ( Yes / No ) | ( Using /Not Using ) | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | ऊँचाई नापने की व्यवस्था। | | | |
| 2.2 | वजन मशीन (बड़ो के लिए)। | | | |
| 2.3 | वजन मशीन (शिशु के लिए)। | | | |
| 2.4 | B.P. मशीन। | | | |
| 2.5 | आला (स्टेथोस्कोप)। | | | |
| 2.6 | थर्ममीटर। | | | |
| 2.7 | हिमोग्लोबिनोमीटर। | | | |
| 2.8 | ब्लड स्लाइड। | | | |
| 2.9 | जांच टेबुल की उपलब्धता, एकांत परिवेश के साथ। | | | |
| 2.10 | हब कटर। | | | |
| 2.11 | छिद्र निरोधक अवशिष्ट बैग/कन्टेनर। | | | |

| 3 | Medicine / Supply | Availability ( Yes / No ) | Distribution / Use (Yes/No) | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | आई एफ.ए. टेबलेट (बड़ा) | | | |
| 3.2 | आई एफ.ए. टेबलेट (छोटा) | | | |
| 3.3 | विटामिन– ए | | | |
| 3.4 | ऐलवेन्डाजोल | | | |
| 3.5 | ओ.आर.एस. | | | |
| 3.6 | जिंक | | | |
| 3.7 | कॉट्रिमोक्साजोल | | | |
| 3.8 | पारासिटामोल | | | |
| 3.9 | ऐन्टी –मलेरिया ड्रग | | | |
| 3.10 | कॉन्डोम | | | |
| 3.11 | गर्भ –निरोधक गोली | | | |
| 3.12 | आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली | | | |
| 3.13 | आई. यू.डी. | | | |
| 3.14 | निश्चय किट (गर्भ जांच के लिए) | | | |

| 4 | Available Services in VHSND | ( Yes / No ) | Remarks |
|---|---|---|---|
| 4.1 | किशोरी स्वास्थ्य सेवाएं (टी.टी.,आई.एफ.ए.–टेबलेट,सेनेट्री नेपकिन) | | |
| 4.2 | प्रसव पूर्व जांच (ए.एन.सी.) | | |
| 4.3 | प्रसर्वोपरान्त जांच (पी.एन.सी.) | | |
| 4.4 | टीकाकरण | | |
| 4.5 | बाल विकास निगरानी (वजन लेकर) | | |
| 4.6 | परिवार नियोजन सामग्री वितरण | | |
| 4.7 | आई.यू.डी. लगाना | | |
| 4.8 | महिला नसबंदी, पुरूष नसबंदी बन्धयाकरण के लिए रेफर करना | | |
| 4.9 | समुह बैठक | | |
| 4.10 | पानी जांच | | |

| 5 | Record/Documents | Availability ( Yes / No ) | Using (Yes/No) |
|---|---|---|---|
| 5.1 | ड्यू लिस्ट रजिस्टर | | |
| 5.2 | मातृ शिशु रक्षा कार्ड (एम.सी.पी. कार्ड) | | |
| 5.3 | एम.सी.एच. रजिस्टर | | |
| 5.4 | VHSND टैली शीट | | |

अभियुक्तिः– VHSND सेवाओं पर सुझाव (अगर सुझाव अधिक है तब,पृष्ठ के पिछें भाग में लिखें)

घोषणाः–मै घोषणा करता/करती हूँ कि VHSND सत्र का पर्यवेक्षण किया गया एवं उपरोक्त सभी विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।

| हस्ताक्षर तारीख के साथ (VHSND सत्र स्थल पर उपस्थित कर्मी) | | पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, पदनाम, विभाग के साथ। |
|---|---|---|
| ए.एन.एम. | | |
| आंगनबाड़ी सेविका | | |
| आशा | | |

13/7/13

(5)